

प्रेस नोट- दिनांक- 07/05/2021

थाना- मिश्रौलिया पुलिस द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ गोष्ठी कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व लाकडाउन के नियमों का पालन करने तथा शासन-प्रशासन के आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में लाकडाउन, आगामी त्यौहार के संबंध में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक इटवा व श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2021 को थाना क्षेत्र के सभी वर्तमान ग्राम प्रधान तथा ग्राम चौकिदारों के साथ मिटींग किया गया तथा सभी लोगो से क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा लाकडाउन के नियम का पालन करने के लिये बताया गया । शासन-प्रशासन व उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 07.05.21 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा” अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु” चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व श्री अरूण चंद, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में श्री ब्रह्मा गौड़ प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दिनांक 04.05.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/21 धारा302,452,504,188,269,270,271 IPC व धारा 3 महामारी अधि0 व 51 (ख) आपदा प्रबन्धन अधि0 सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रवीन्द्र पाण्डेय उर्फ डब्लू पुत्र लक्ष्मीकान्त पाण्डेय 2. उमेश पाण्डेय उर्फ बब्लू पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी टीकुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 07.05.2021 को समय 08.45 बजे सेमरा मुस्तहकम तिराहे पर सेमरा मुस्तहकम से झुड़िया की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर भेजा गया ।

विवरण अभियुक्तगण-

1. रवीन्द्र पाण्डेय उर्फ डब्लू पुत्र लक्ष्मीकान्त पाण्डेय निवासी टीकुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. उमेश पाण्डेय उर्फ बब्लू पुत्र लक्ष्मीकान्त निवासी टीकुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

विवरण बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद बास का भण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रह्मा गौड़,
02. उ0नि0 श्री हरिओम कुशवाहा,
03. उ0नि0 अजय कुमार यादव
04. का0 रुपेश गौतम,
04. का0 गोपाल यादव

प्रेस नोट- दिनांक- 07/05/2021 जनपद- सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ गोष्ठी कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व लाकडाउन के नियमों का पालन करने तथा शासन-प्रशासन के आदेशों निर्देशों से अवगत कराया गया।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में लाकडाउन, आगामी त्यौहार के संबंध में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सदर के निर्देशन में व श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2021 को थाना क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ मिटींग किया गया तथा सभी लोगो से क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा लाकडाउन के नियम का पालन करने के लिये बताया गया। शासन-प्रशासन व उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया।

प्रेस नोट दिनांक 07.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

यातायात अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 07-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 965 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 401 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज कर ₹ 3,14,740/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 07.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस क्रम में आज दिनांक 07-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 473 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹0 94950/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगी।